RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
ISSN: 2584-1270
Volume: 2, Issue: 1, January-June 2024, pp.160-166

समान नागरिक संहिता: विविधता और सामाजिक समानता के मध्य संघर्ष एवं समाधान

सागर साहनी

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
E-mail: sagar.jnv37@gmail.com

सारांश

भारत एक विशाल देश है। जिसका भौगोलिक विस्तार के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, जाति और सामुदायिक विभिन्नता काफी अधिक है। सभी के अपने पारिवारिक और सामाजिक रीति रिवाज अलग-अलग हैं। देश में सभी समुदाय और संप्रदाय के लिए लगभग एक से नियम और कानून हैं, शिवाय पारिवारिक कानून जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम। सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। समान नागरिक संहिता को लागू करते समय भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गोवा का समान नागरिक संहिता भारत के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकता है समान नागरिक संहिता लागू होने से कानूनों में एकरूपता आएगी और लोगों को समझने और इसके दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।

मूल शब्दः *समान नागरिक संहिता, गोवा सिविल संहिता, संविधान सभा, विधि आयोग*

परिचय

भारत विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। लेकिन विविधता के मामले में शायद ही कोई देश भारत से आगे हो। इसलिए हमारे यहां एक कहावत है 'कोस-कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी' अर्थात भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस की दूरी पर भाषा या वाणी बदल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न जाति,

संप्रदाय और समुदाय के लोग रहते हैं भारत के संविधान ने सभी को समान महत्व दिया गया है। जिस प्रकार एक प्लेट में सलाद रखा जाता है जिसमें सभी प्रकार के सब्जियां अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए एक साथ आते हैं। इस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी विविधता को बनाए रखने के साथ एक संविधान और एक राष्ट्र को मानते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है विविधता में एकता। लेकिन यह विविधता तभी तक अच्छी है जब तक कि किसी विशेष वर्ग, लिंग आदि का शोषण नहीं करती हो। जब यह शोषण करती है तब भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य आगे आता है और सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिए विधिका निर्माण करते है।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही संविधान निर्माताओ ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया। सभा में सदस्यों के द्वारा इसे धर्म के मामले यानी अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध किया गया। तब भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे। लेकिन संविधान सभा में पर्याप्त समर्थन न पाने की स्थिति में इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 44 के तहत इसको संविधान में शामिल कर लिया गया। इसे भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए छोड़ दिया गया

समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत, गोद और तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाला एक कानून है। जो देश के सभी नागरिकों पर चाहे वें किसी धर्म, संप्रदाय और जाति के हों पर समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना समानता, न्याय, समान कानून और सद्भाव को बढ़ावा देना है।

शोध पद्धति

इस आर्टिकल को लिखने के लिए गुणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। जो विषय के बारे में ज्ञान और समझ बढ़ाने में सहायक है। आंकड़ों और तथ्यों के लिए मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। जिसमें किताबें, आर्टिकल, जर्नल और न्यूज़ पेपर आदि की सहायता ली गई है। इस आर्टिकल के लिए इंटरनेट के माध्यमों की भी काफी सहायता ली गई है।

समान नागरिक संहिता का इतिहास

- ब्रिटिश 1600 में जब भारत आए तब उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था लेकिन समय के साथ हुए भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिए। भारत प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिशों ने 1860 ईसवी में भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया यह केवल फौजदारी मामलों के लिए था नागरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करने का प्रयास किया 1858 ईसवी में भारत का शासन ब्रिटिश तक ही अधीन हो गया तब रानी विक्टोरिया ने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया।
- 11 अप्रैल 1947- कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया।
- नवम्बर 1948- संविधान सभा में अनुच्छेद 35 के तहत समान नागरिक संहिता को चर्चा के लिए रखा गया लेकिन अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान का अंग बना।
- 1951 नेहरू ने आम चुनाव में इस आधार पर वोट मांगा कि यदि वे जीत जाते हैं तो वे हिंदू कोड बिल पास कराएंगे।
- 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम और हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम के रूप में बिल पेश किया। 1958 से ये सभी कानून हिंदुओं पर लागू होते हैं।
- 1954- विशेष विवाह अधिनियम 1954 इस कानून के तहत किसी भी धर्म और जातियों के लोगों के विवाह के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसके तहत बहुविवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- 1961-गोवा को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है।
- 1985- शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला शाहबानो के भरण के संबंध में फैसला करते हुए संसद को निर्देश दिया कि संसद को इस संबंध में कानून बनना चाहिए।
- 1986 तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को संसद से पास कर लिया।

- 2018- 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता से जुड़े कुछ सवाल जनता से पूछे।
- 22वां विधि आयोग-समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता से राय मनी।
- 2024- 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता बिल पास किया।

गोवा एक मार्गदर्शक के रूप में

गोवा में पिछले लगभग 163 वर्षों से समान नागरिक संहिता बिना किसी विरोध और व्यवधान के काम कर रही है। 1867 में पुर्तगाल सिविल कोर्ट बनाने की शुरुआत हुई। प्रोटॉन के हाईकोर्ट के जज एनटोनियो लुइस जासियाबराने 9 साल में इस कानून को तैयार किया। पुर्तगाल में बना एइस कानून को राजा के फैसले के बाद इसे गोवा में लागू कर दिया गया।

1961 में भारत में विलय के बाद गोवा भारत का हिस्सा बन गया लेकिन पहले से चले आ रहे गोवा सिविल कोड को जारी रखा गया। गोवा सिविल कोड विवाह, उत्तराधिकार और गोद आदि जैसे विषयों पर समान रूप से सभी धर्मों के लोगों के लिए काम करता है। गोवा में संपत्ति के अधिकार में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति साझे की संपत्ति बिना अपनी पत्नी की सहमति से नहीं बेच सकता। अगर पति-पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों के आय को जोड़कर कर लगाया जाता है। सिविल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गोवा की बहोत अच्छी है। सभी लोग जन्म, मृत्यू, विवाह आदि की निर्धारित जगह पर रजिस्टर करवाते हैं। जिससे संपत्ति और अन्य मामलों में बंटवारे को लेकर स्पष्टता बनी रहती है।

समान नागरिक संहिता लागू करने में चुनौतियां

कुछ धार्मिक रीतियां सदियों से चली आ रही हैं। जिन्हें कानून बनाकर एक झटके में लागू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शादी विवाह बहुत हद तक निजी मामला है। राज्य को निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए।

समान नागरिक संहिता को जनजाति क्षेत्रों में लागू करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.42 करोड़ जनजाति निवास करते हैं जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय और नगालैंड में क्रमशः 94.4%, 86.% और 86.5% जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। इन जनजाति समुदायों में परंपराएं, मूल्य, मान्यताओं में काफी विविधता पाई जाती है। कुछ जनजाति समुदाय मातृ सत्तात्मक हैं तो कुछ पितृसत्तात्मक। कुछ जनजातियों में बहुपति और बहुपत्नी विवाह का

प्रचलन है। मेघालय के खासी और गारो समाज में विवाह और तलाक गोद लेने की भिन्न परंपराओं के साथ संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम बिल्कुल अलग है। मेघालय के मातृसत्तात्मक समाज में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। सबसे छोटी बेटी जिसे कद्दूह के नाम से जाना जाता है जिसको पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। कुछ जनजातीयां जैसे ओंगे, सेंटिनली, राजी और जरावा जैसी 18 ऐसी जनजातीयां भी हैं जिन तक शासन प्रशासन का पहुंच तक नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद, जैसे 371 ए नागालैंड राज्य के लोगों को और असाधारण को छूट प्रदान करता है। नागालैंड में संसद, राज्य विधानसभा की समिति के बिना धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, प्रक्रिया नागरिक या आपराधिक न्याय, स्वामित्व और भूमि के मामलों पर कानून नहीं बन सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। विशेष प्रावधानों के कारण संसद राज्य के मामलों पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक की विधानसभा ऐसा निर्णय न ले ले। संविधान की छठी अनुसूची के तहत मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि इन प्रावधानों के साथ एकाएक परिवर्तन किया जाता है तो अलगाववाद और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित नियम बनाते समय इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए।

समान नागरिक संहिता लागू करते समय मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संघर्ष हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की आबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।

समान नागरिक संहिता लागू करने के फायदे

- लैंगिक समानता का बढ़ावा देने और शोषण को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं का शोषण विभिन्न रूपों जैसे तीन तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- समान नागरिक संहिता में कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं अर्थात सभी नागरिकों पर धर्म, मूल्य, मान्यताओं को भूलकर एक समान व्यवहार करता है। इससे पंथ निरपेक्षता की भावना का विकास होता है।

- अपने अपने धर्म की अलग-अलग संहिताएं होने से कानून को समझने में कठिनाई आती है और उसका लोग तोड़ निकाल लेते हैं। इससे शोषण और न्याय पालिका पर बोझ बढ़ता है। एक संहिता रहने से सभी लोगों को कानून का पता रहेगा और उसे लोगों के द्वारा तोडने का प्रयास कम किया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण है। जो समानता, न्याय और मानवाधिकार की उच्च मानदंडों को प्राथमिकता देती है।
- समान नागरिक संहिता बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाकर लैंगिक न्याय की बात करता है।
- एक समान नागरिक संहिता होने से राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न समुदायों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। एक राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के पक्ष में वोट मांगता है, तो दूसरा उसके विरोध में। इस प्रकार समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से इन सभी प्रवृत्तियों पर रोक लग जाएगी।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में समय की मांग है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन राज्य वहीं तक धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता जहां तक कोई धर्म किसी वर्ग, लिंग विशेष का शोषण नहीं करता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से विभिन्न धर्मों में जो कुरीतियां विद्यमान है उनसे छुटकारा मिलेगा। समाज में सामाजिक समानता और समरसता आएगी। कोई कुरीति सदियों से चली आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसे बदला नहीं जाना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा का प्रावधान था। इसे राजा राममोहन राय ने कड़े संघर्ष के बाद समाप्त किया। इस प्रकार मुस्लिम धर्म में तीन तलाक, हलाला जैसी कुरीतियां विद्यमान है जिसमे से कई पर क़ानून बनाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी बाकी कुरीतियाँ शेष है जिन्हे सामान नागरिक संहिता जैसे कानूनों से हटाया जा सकता है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि भारत में काफी विविधता है। आदिवासी समुदाय की बातों और मुद्दों को सुना जाना चाहिए क्योंकि उनकी मान्यताएं और परंपराएं काफी अलग हैं। विविधता को देखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Choudhry, S., Khosla, M., & Mehta, P. B. (Eds.). (2016). The Oxford Handbook of the Indian Constitution. Oxford University Press.

Gupta, S., Jain, I. B., Jagdeep, M., Verma, M. P., Singal, M. D., Beri, M. A., & Singh, M. K. (2024). Uniform Civil Code In India: Analyzing Challenges, Reasons And Prospects. Educational Administration: Theory and Practice, 30(4), 6538-6544.

Manooja, D. C. (2000). Uniform Civil Code: A Suggestion. Journal of the Indian Law Institute, 42(2/4), 448-457.

Menski, W. (2008). The Uniform Civil Code debate in Indian law: New Developments and Changing Agenda. German Law Journal, 9(3), 211-250.

Shetreet, S., & Chodosh, H. E. (2015). Uniform civil code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press.